

# पंचायती राज व्यवस्था: आवश्यकता, महत्व, समस्या

Dr. Rajkumar Goyal

Lecturer, Political Science, Babu Shobha Ram Govt. Arts College, Alwar, Rajasthan, India

## सार

पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाता है तथा सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाता है ताकि विकास योजनाओं को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन (73rd Amendment Act) के द्वारा बनाई गई है। स्थानीय स्तर पर शासन के रूप में एक विभाजन होता है। पंचायती राज प्रणाली देश में मूल लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रयोजन एवं विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पंचायती राज प्रणाली प्रतिनिधि लोकतंत्र को एक सहभागी लोकतंत्र में बदल देता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 73वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति का लहज़ा मिला था। इसने भारत में पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक समर्थन दिया।

## परिचय

पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएँ तीन हैं-

- (1) ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत
- (2) ब्लॉक (तालुका) स्तर पर पंचायत समिति
- (3) जिला स्तर पर जिला परिषद[1,2]

इन संस्थाओं का काम आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की योजनाओं को लागू करना है, जिसमें 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय भी हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन सम्बंधी प्रस्ताव दिया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रान्तों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों की सूची में रखा गया। स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1957 में योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1953) के अध्ययन के लिये 'बलवंत राय मेहता समिति' का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिया।[3,4]

वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और जिला परिषद (जिला स्तर पर) शामिल हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन आजादी से पहले भी बहस का विषय रहा है। जहाँ गाँधी, गाँव के लिये प्रजातंत्र राज और द्वितीयक महत्वता का सिद्धांत चाहते थे, वहीं नेहरू और अंबेडकर एक मजबूत केंद्र के पक्षधर थे। मतभेदों के कारण, DPSP के तहत इसके गठन के समय संविधान में केवल पंचायती राज का उल्लेख किया गया था। हालांकि, कई विचार-विमर्श और बिलों के बाद, अंततः 1992 में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के माध्यम से, पंचायती राज और शहरी शासन को क्रमशः संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान राज्य द्वारा 1959 में, नागौर जिले में

और उसके बाद आंध्र प्रदेश द्वारा स्थापित की गई थी। तत्पश्चात अधिकांश राज्यों द्वारा इस प्रणाली को अपनाया गया। स्थानीय स्वशासन के बारे में मुख्य चिंता इसकी बनावट, शक्ति के विकास की मात्रा, वित्त आदि थे। इसके लिए एक विधि तैयार करने के लिए संबंधित केंद्रीय सरकारों द्वारा कई समितियों का गठन किया गया था। [5,6]

पंचायती राज से सम्बंधित महत्वपूर्ण समितियाँ:-

1. बलवंत राय मेहता समिति (1957)
2. अशोक मेहता समिति (1977)
3. जी.वी.के. राव समिति (1985)
4. एल.एम. सिंघवी समिति (1986)
5. थुंगोन समिति
6. गाडगिल समिति

कई समितियों के बाद, राजीव गांधी सरकार ने 64वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया, लेकिन इसे राज्यसभा में इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि उसने संघीय व्यवस्था में केंद्रीयकरण को मजबूत करने की मांग की थी। हालांकि, नरसिम्हा राव सरकार ने सभी विवादास्पद पहलुओं को हटाने के लिए विधेयक को संशोधित किया और विधेयक पेश किया। इसलिए 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम दोनों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पारित किया गया था। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठा सकती हैं जिससे ग्राम पंचायतों का औपचारिककरण हो सके और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में मदद मिल सके। [7,8]

### विचार-विमर्श

24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।

73वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:

1. एक त्रि-स्तरीय ढाँचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत)
2. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना
3. हर पाँच वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव
4. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण
5. महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण
6. पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोगों का गठन
7. राज्य चुनाव आयोग का गठन
8. 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियाँ और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं:

1) संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना और उनका निष्पादन करना

2) कर, ड्यूटीज, टॉल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार

3) राज्यों द्वारा एकत्र करें, ड्यूटियों, टॉल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण

== ग्राम पंचायत == सभा किसी एक गाँव या पंचायत का चुनाव करने वाले गाँवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। [9,10]

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शक्तियाँ प्रदान

करें। गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए पंचायती राज कानून में अनिवार्य प्रावधान शामिल करना। पंचायती राज अधिनियम में ऐसा अनिवार्य प्रावधान जोड़ना जो विशेषकर ग्राम सभा की बैठकों के कोरम, सामान्य बैठकों और विशेष बैठकों तथा कोरम पूरा न हो पाने के कारण फिर से बैठक के आयोजन के संबंध में हो। ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो और विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों जैसे सीमांतकृत समूह भाग ले सकें। ग्राम सभा के लिए ऐसी कार्य-प्रक्रियाएँ बनाना जिनके द्वारा वह ग्राम विकास मंत्रालय के लाभार्थी-उन्मुख विकास कार्यक्रमों का असरकारी ढंग से सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कर सके तथा वित्तीय कुप्रबंधन के लिए वसूली या सजा देने के कानूनी अधिकार उसे प्राप्त हो सकें। ग्राम सभा बैठकों के संबंध में व्यापक प्रसार के लिए कार्य-योजना बनाना। ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए मार्ग-निर्देश/कार्य-प्रक्रियाएँ तैयार करना। प्राकृतिक संसाधनों, भूमि रिकार्डों पर नियंत्रण और समस्या-समाधान के संबंध में ग्राम सभा के अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करना। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम स्तर पर स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में ऐसी सशक्त पंचायतों की परिकल्पना करता है जो निम्न कार्य करने में सक्षम हों:

ग्राम स्तर पर जन विकास कार्यो और उनके रख-रखाव की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना। ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय भाईचारा, विशेषकर जेंडर और जाति-आधारित भेदभाव के संबंध में सामाजिक न्याय, झगड़ों का निबटारा, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे मुद्दे होंगे। [11,12] 73वाँ संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो। ग्राम सभा 1993 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुसूचित किया गया की एक ग्राम सभा होगी। धारा 8 पंचायतो का गठन और धारा 9 द्वारा पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया !

### 73वाँ संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं :-

- इस अधिनियम ने भाग- IX को भारत के संविधान में "पंचायतों" के नाम से जोड़ा। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 O तक के प्रावधान हैं। एक नई अनुसूची के अलावा, ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो 243G के साथ संबंधित है। इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय हैं।
- अधिनियम ने एक DPSP, संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया।
- इस अधिनियम में राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ अनिवार्य और कुछ स्वैच्छिक प्रावधान शामिल हैं।
- ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करती है। निकाय में सभी व्यक्ति शामिल हैं जो संबंधित गांवों में निर्वाचक मंडल के रूप में पंजीकृत हैं। यह पूरे देश में एकरूपता लाने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना (गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर) को अनिवार्य करता है। लेकिन 2 मिलियन से कम आबादी वाले राज्य को मध्यवर्ती स्तर पर गठन से छूट दी गई है।
- अधिनियम यह प्रावधान करता है कि तीनों स्तरों पर सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। ऊपरी दो स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव परोक्ष रूप से किया जाएगा और पंचायतों के संबंध में प्रावधान रखना राज्य विधानमंडल पर स्वैच्छिक अधिकार है।
- प्रत्येक पंचायत में SC और ST के लिए आबादी के अनुपात में पद आरक्षित हैं। यह तीनों स्तरों पर अध्यक्ष के कार्यालयों के आरक्षण के संबंध में स्वैच्छिक प्रावधान करने के लिए राज्य पर निर्भर है। इसके अलावा, अध्यक्ष पद के लिये और कार्यालय का एक तिहाई हिस्से से अधिक महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
- पंचायतें 5 साल की अवधि की होंगी और चुनाव मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति से पहले किए जाएंगे।
- अधिनियम क्रमशः वित्त और चुनाव के संचालन के लिए राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का एक पद सृजित करता है। पंचायतों के खातों के ऑडिटिंग और तंत्र के तरीके राज्यों द्वारा तय किये जायेंगे।
- अधिनियम, राज्य विधान सभा को पंचायत के वित्त के बारे में कानून बनाने और कैसे और किन शर्तों पर वे कर लगा सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं और उचित कर लगा सकते हैं, के लिए शक्ति प्रदान करता है।
- कई राज्यों और क्षेत्रों को इस कानून से छूट दी गई है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में पांचवीं अनुसूची के तहत, 1996 का PESA अधिनियम लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि अधिनियम के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर कैसे लागू होने चाहिए। [10,11]

## परिणाम

### पंचायती राज की सफलता में चुनौतियाँ

- पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत आधार नहीं है। उन्हें वित्त के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिये ही होता है।
- कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर नहीं हो पाता है।
- कई पंचायतों में जहाँ महिला प्रमुख हैं, वहाँ कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है, महिलाएँ केवल नाममात्र की प्रमुख होती हैं। इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
- क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं।
- इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता है, जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है।[9,10]

### अप्रभावी प्रदर्शन के कारण:

- यद्यपि संवैधानिक दर्जा देने के बावजूद, यह कहा जाता है कि अधिनियम केवल ढांचे को निर्मित कर सभी निर्णय राज्य पर छोड़ देता है। कई राज्यों ने निम्न स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पर्याप्त तंत्र नहीं लिया है।
- 3F (फंड, फंक्शंस और फंक्शनरीज) के हस्तांतरण में कमी हुई है। इसलिए वे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं। यह आवश्यक है कि उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए, हालांकि, न तो उनके पास शुल्क लगाने की शक्ति है और न ही वित्त राज्यों या केंद्र से व्यवस्थापित है।
- यह देखा गया है कि अंकेक्षण तंत्र बहुत कमजोर है और पंचायतों में नेताओं के बीच भारी भ्रष्टाचार है। ग्राम सभा की कोई नियमित बैठक नहीं होती है और कई बार, आरक्षित क्षेत्रों की पंचायतों में भी उच्च जातियों का वर्चस्व होता है।
- देश में नौकरशाही को अपार शक्ति मिली है और आगे भी कई बार ग्राम पंचायतों को उनके अधीनस्थों के रूप में रखा गया है। यहां तक कि, अहंकारी प्रकृति और रंगभेद के कारण, नौकरशाहों द्वारा नेताओं को बहुत कम सम्मान प्रदान किया जाता है।
- कई बार, धन कुछ योजनाओं या नीतियों से बंधा होता है और पंचायतों को केवल एक कार्यकारी निकाय बना दिया जाता है। वे समस्याओं की जड़ों को जानने के बावजूद स्वयं निधि खर्च करने का निर्णय नहीं ले सकते।
- राज्य अधिनियम ग्राम सभा की शक्तियां नहीं रखते हैं। यहां तक कि उनके कामकाज की प्रक्रिया भी नहीं बताई गई है। ये नीतियों और योजनाओं का मूल्यांकन और अंकेक्षण करने और सरकार के तीनों स्तरों पर उनके निष्पादन के लिए एक शक्तिशाली निकाय हो सकते हैं।[8,9]
- इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब स्थिति में है। उनके पास कार्यालय, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की कमी है। नियोजन, निगरानी आदि के लिए डेटाबेस कई मामलों में अनुपस्थित हैं। इसके अलावा, पंचायतों में इष्टतम मानव संसाधनों की कमी है। कई प्रतिनिधि अर्ध-साक्षर या निरक्षर हैं और उन्हें डिजिटल ज्ञान नहीं है।
- साथ ही, पाटी पंचायत के ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहाँ महिला के निर्वाचित होने पर भी पति के हाथ में शक्तियाँ होती हैं।[6,7]

## निष्कर्ष

### समाधान:

- राज्यों द्वारा पंचायतों को धन समर्पित करने के लिए उचित तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। उन्हें अपना राजस्व उत्पन्न करने के लिए शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। यह जी.एस.टी. में तीसरे स्तर को शामिल करके या भूमि या स्थानीय गतिविधियों

पर कर लगा कर हो सकता है। राज्य वित्त आयोग को सशक्त किया जाना चाहिए और इसे सरकारों को इस बारे में जवाबदेह बनाना चाहिए।

- पंचायतों के लिए उचित समान संवर्ग बनाया जाना चाहिए। उन्हें उनकी शक्तियों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाते हुए प्रतिनिधियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- पंचायतों की शक्तियों का उचित सीमांकन किया जाना चाहिए। ग्राम सभा को सशक्त किया जाना चाहिए और नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। यह एक वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरे के तहत होना चाहिए। सामाजिक अकेक्षण तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- कार्यालय भवन और बुनियादी ढांचा निर्माण को मनरेगा से जोड़ा जाना चाहिए ताकि रोजगारों का भी निर्माण हो सके। [5,6]

### पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय

- पंचायती राज संस्थाओं को कर (टैक्स) लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिये। पंचायती राज संस्थाएँ खुद अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करें। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्त आवंटन में बढ़ोतरी की है। इस दिशा में और भी बेहतर कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है।
- पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिये जाएँ और बजट आवंटन के साथ ही समय-समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी कराया जाना चाहिये। इस दिशा में सरकार द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ एक सराहनीय प्रयास है।
- महिलाओं को मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अधिक-से-अधिक सशक्त बनाना चाहिये जिससे निर्णय लेने के मामलों में आत्मनिर्भर बन सके और

महिलाओं को 33% पंचायत में सीट उपलब्ध करानी चाहिए।

- पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिये।
- पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का आवंटन करना चाहिये तथा इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली पंचायत को पुरस्कृत करना चाहिये। [11,12]

### संदर्भ

1. "भारत में पंचायती राज दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?". Jagranjosh.com. 2017-04-24. अभिगमन तिथि 27 January 2017.
2. "संग्रहीत प्रति". मूल से 23 मई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अप्रैल 2017.
3. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 2 दिसंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अप्रैल 2017.
4. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 29 अप्रैल 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अप्रैल 2017.
5. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 15 मई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अप्रैल 2017.
6. National Informatics Centre 2005.
7. ↑ Wolpert 2003, पृ° 1.
8. ↑ "National Symbols | National Portal of India" [राष्ट्रीय चिह्न | भारत का राष्ट्रीय प्रवेशद्वार] (अंग्रेज़ी में). इंडिया पोर्टल. मूल से 6 जुलाई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १३ मई २०१४.
9. ↑ राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र 2005.
10. ↑ "Profile | National Portal of India". इंडिया पोर्टल. मूल से 9 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १३ मई २०१४.

- 
11. ↑ "Constitutional Provisions – Official Language Related Part-17 Of The Constitution Of India". राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (Hindi में). मूल से 1 February 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 December 2015.
  12. ↑ "Report of the Commissioner for linguistic minorities: 50th report (July 2012 to June 2013)" (PDF). Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India. मूल (PDF) से 8 July 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 December 2014.